



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042026-271717
CG-DL-E-10042026-271717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 242]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

आय-कर

सा.का.नि. 262(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के राजपत्र, भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना धारित सं. सा.का.नि. 226(अ), दिनांक 30 मार्च, 2026 में :-

(i) पृष्ठ संख्या 19 पर, प्ररूप आईटीआर-1 में, अनुसूची-आईटी के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची-आईटी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

अनुसूची-आईटी में अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर भुगतानों का विवरण शामिल है।																			
बीएसआर कोड					जमा करने की तारीख					चालान का क्रमांक					कर भुगतान				
कॉलम(1)					कॉलम(2)					कॉलम(3)					कॉलम(4)				
आर																			
1																			
आर																			
2																			

- (ii) पृष्ठ संख्या 21 पर, प्ररूप आईटीआर-4 में, भाग ख (सकल कुल आय) में, अनुसूची वेतन के अंतर्गत, पंक्ति ख2 में, उप-पंक्ति (ii) के बाद, उप-पंक्ति (ii) को उप-पंक्ति (iii) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा;
- (iii) पृष्ठ संख्या 21 पर, प्ररूप आईटीआर-4 में, भाग ख में, पंक्ति ख2 में, उप-पंक्ति (iv) में, मद-क में, अक्षरों "Ivक" के स्थान पर, अक्षर "ivक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 57/2026/फा. सं. 370142/5/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th April, 2026

INCOME-TAX

G.S.R. 262(E).— In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 226(E), dated 30th March, 2026:—

(i) at page number 19, in Form ITR-1, for Schedule-IT, the following schedule-IT shall be substituted, namely,—

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments																			
	BSR Code					Date of Deposit					Serial Number of Challan					Tax paid			
	Col(1)					Col(2)					Col(3)					Col(4)			
R1																			
R2																			

(ii) at page number 21, in Form ITR-4, in Part B (Gross Total Income), under Schedule Salary, in row B2, after sub-row (ii), sub-row (ii) shall be renumbered as sub-row (iii);

(iii) at page number 21, in Form ITR-4, in Part B, in row B2, in sub-row (iv), in item-a, for the letters “Iva”, the letters “iva” shall be substituted.

[Notification No. 57/2026/F. No. 370142/5/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.